



INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान EO & RO

REVENUE OFFICER (2nd Grade)

& EXECUTIVE OFFICER (4th Grade)

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION



ॐ सरस्वती मया दृष्ट्वा, वीणा पुस्तक धारणीम।

हंस वाहिनी समायुक्ता मां विद्या दान करोतु मे ॐ॥

भाग - 2

राजस्थान का भूगोल + भारत का संविधान

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “RPSC Executive Officer / Revenue Officer” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “RPSC Executive Officer / Revenue Officer” भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp करें - <https://wa.link/klbi9k>

Online Order करें - <https://bit.ly/leo-ro-notes>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

राजस्थान का भूगोल

<u>क्र.सं.</u>	<u>अध्याय</u>	<u>पेज नं.</u>
1	प्रमुख भू - आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं	1
2	जलवायु की विशेषताएं	13
3	प्रमुख नदियाँ एवं झीलें	26
4	प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा	46
5	प्रमुख फसलें	62
6	प्रमुख उद्योग	73
7	प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ एवं जल संरक्षण तकनीकें	76
8	जनसंख्या-वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जनजातियाँ	88
9	ऊर्जा संसाधन-परम्परागत एवं गैर परम्परागत	98
10	जैव विविधता एवं इनका संरक्षण	110
11	पर्यटन स्थल एवं परिपथ	114
12	खनिज सम्पदाएँ	130
	<u>भारतीय संविधान</u>	
1	संविधान सभा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	143
2	भारतीय संविधान की विशेषताएँ	148

3	संविधान संशोधन	151
4	उद्देशिका (प्रस्तावना)	158
5	मौलिक अधिकार (मूल अधिकार)	162
6	नीति निदेशक तत्व	171
7	मूल कर्तव्य	174
8	राष्ट्रपति	179
9	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	198
10	भारतीय संसद	204
11	उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुत्राविलोकन	215
12	निर्वाचन आयोग	220
13	नियंत्रक एवं (अनुच्छेद - 148 -151) महालेखा परीक्षक	224
14	नीति आयोग	226
15	केंद्रीय सतर्कता आयोग	228
16	लोकपाल	233
17	केंद्रीय सूचना आयोग	236
18	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	240
19	भारत में लोकतांत्रिक राजनीति	242
20	गठबंधन सरकारें	246
21	राष्ट्रीय एकीकरण	250

राजस्थान का भूगोल

अध्याय - 1

प्रमुख भू - आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं

नोट:- प्रिय पाठकों जैसा कि आपको ज्ञात है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस विशाल राज्य में रेगिस्तान, नदियाँ, पर्वत एवं पहाडियाँ, पठार अलग - अलग क्षेत्रों में पाये जाते हैं।

नोट:- भौगोलिक रूप से राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बाँटा गया है-

1. **पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश** - वह क्षेत्र जहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है।
2. **अरावली पर्वतमाला** - वह क्षेत्र जहाँ पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है।
3. **पूर्वी मैदानी प्रदेश**- वह क्षेत्र जहाँ पर अधिकांश दोमट व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
4. **दक्षिणी - पूर्वी पठारी प्रदेश** - वह क्षेत्र जहाँ पर अधिकांश मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है, इस क्षेत्र को हाड़ौती का पठार भी कहते हैं।

प्रिय छात्रों, इन चारों प्रदेशों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है-

पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश:-

- जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र टेथिस सागर का अवशेष है, और अरावली क्षेत्र गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।

पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य परिचय :-

वर्तमान में रेगिस्तान का विस्तार राज्य के कुल 61.11 प्रतिशत हिस्से पर है।

नोट:- पहले ये क्षेत्र केवल 58 प्रतिशत भाग पर ही सीमित था, लेकिन वर्तमान में अरावली पर्वतमाला के कटी - फटी होने के कारण मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है।

अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कुल 21 जिले स्थित हैं, उनमें से **20 जिलों में रेगिस्तान का विस्तार है।** यह जिले निम्न प्रकार हैं-

1. **बीकानेर संभाग** - गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर
2. **जोधपुर संभाग** - जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, फलोंदी, जैसलमेर, बाड़मेर
3. **सीकर संभाग** - झुंझुनू, सीकर, चुरू, नीमकाथाना
4. **अजमेर संभाग** - नागौर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन
5. **पाली संभाग** - पाली, जालौर, सांचौर, सिरोही (अपवाद)



नोट: - राज्य के सिरोही जिले में मरुस्थल का विस्तार नहीं है अर्थात् अरावली के पश्चिम में स्थित 21 जिलों में से सिरोही एक मात्र ऐसा जिला है, जो मरुस्थलीय जिलों की श्रेणी में शामिल नहीं है।

- थार का रेगिस्तान राजस्थान के उत्तर-पश्चिम भाग और पाकिस्तान में सिंध तथा पंजाब तक फैला है।
- यह उत्तर - पश्चिम में 644 किमी, लम्बा और 360 किमी, चौड़ा है।
- इस का सामान्य ढाल उत्तर - पूर्व से दक्षिण - पश्चिम की ओर है।
- मरुस्थल का ऊँचा उठा हुआ उत्तर - पूर्वी भाग 'थली' तथा दक्षिण-पश्चिम भाग नीचे का 'तली' कहलाता है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है। यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है तथा इसके अलावा यह विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी है।

प्रश्न। भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है?

- A. 40 प्रतिशत B. 60 प्रतिशत
C. 80 प्रतिशत D. 90 प्रतिशत
- उत्तर - B

- थार के मरुस्थल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं, कि यह विश्व का एक मात्र ऐसा मरुस्थल है, जिसके निर्माण में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं का मुख्य योगदान है।
- थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को भी नियंत्रित करता है।
- ग्रीष्म काल में तेज गर्मी के कारण इस प्रदेश में न्यून वायु दाब केन्द्र विकसित हो जाता है जो दक्षिण - पश्चिमी मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है। यह हवायें सम्पूर्ण प्रायद्वीप में वर्षा करती हैं।
- भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करने में इस मरुस्थल की उपस्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में शुष्क एवं अत्यंत विषम जलवायु पाई जाती है और तापमान गर्मियों में अत्यधिक (49° C तक) तथा सर्दियों में न्यूनतम (3° C तक) रहता है। ऑकल जीवाश्म पार्क, जलोद्भिद तलछट व लिग्नाइट, खनिज तेल इत्यादि से इस तथ्य की पुष्टि होती है, कि थार का मरुस्थल 'पर्माकार्बोनिफेरस युग' में टेथिस सागर का हिस्सा था।

नोट:-मरुस्थलीकरण का मूल कारण :-

- मरुस्थलीकरण की समस्या सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है। विश्व की कुल जनसंख्या का छठवाँ हिस्सा मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित है।

- सन् 1952 में 'Symposia on Indian Desert' का आयोजन किया गया जिसमें थार के मरुस्थल की उत्पत्ति पूर्व में इसका विस्तार आदि पर विस्तृत चर्चा की गई है।

क्या होता है मरुस्थलीकरण?

- उपजाऊ एवं अमरुस्थलीय भूमि का क्रमिक रूप शुष्क प्रदेश अथवा मरुस्थल में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया ही मरुस्थलीकरण है।
- मरुस्थलीकरण प्रकृति की परिघटना है जो जलवायवीय परिवर्तन व दोष पूर्ण भूमि उपयोग के कारण होती है।
- यह क्रम वृद्धि परिघटना है, जिसमें मानव द्वारा भूमि उपयोग पर दबाव के कारण परिवर्तन होने से परितंत्र का अवनयन होता है।

मरुस्थलीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण-

- भूमि का अविवेकी उपयोग
- पशुचारन
- निरंतर वर्षा में कमी
- संसाधनों का अति दोहन
- जनसंख्या वृद्धि इत्यादि।

थार का मरुस्थल 'ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका' मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है।

थार के मरुस्थल में स्थित प्रमुख उद्यान 'राष्ट्रीय मरु उद्यान' है।

मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान

राज्य का मरुस्थल उष्ण मरुस्थल की श्रेणी में आता है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें बाजरा, मोठ, ग्वार, इत्यादि हैं तथा प्रमुख नदी 'लूनी' है तथा प्रमुख नहर 'इंदिरा गाँधी' नहर है।

इस क्षेत्र में तीन प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है

1. इर्ग
2. हम्मादा
3. रैंग

- रेतीले मरुस्थल को 'इर्ग' कहा जाता है।
- पथरीले मरुस्थल को हम्मादा कहा जाता है इसका विस्तार जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर व जालौर तक है।
- ऐसा मरुस्थल जिसमें रेत व पत्थर दोनों पाए जाते हैं, अर्थात् मिश्रित मरुस्थल को 'रैंग' कहा जाता है। यह जैसलमेर के निकट रामगढ़ व लोटवा क्षेत्रों में पाया जाता है।
- प्रसिद्ध जन्तु वैज्ञानिक डॉ. ईश्वर प्रकाश ने कहा है कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र को मरु क्षेत्र नहीं कहकर 'रक्ष क्षेत्र' कहा जाए क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है।
- नोट:- जोधपुर राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालूका स्तूप पाये जाते हैं। तथा सर्वाधिक बालूका स्तूप जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं।

बीजासण का पहाड़ :- मांडलगढ़ के कस्बे के पास स्थित है।

विध्याचल पर्वत :- राजस्थान के दक्षिण-पूर्व में तथा मध्य प्रदेश में स्थित है।

भभूल्या :- राजस्थान में ग्रीष्मकाल में चलने वाली आँधियों से उत्पन्न वायु भंवर (चक्रवात) को स्थानीय भाषा में भभूल्या कहते हैं।

पुरवइयाँ :- बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को राजस्थान के स्थानीय भाषा में पुरवइयाँ (पुरवाई) कहते हैं।

शुष्क मरुस्थल

उत्तर - पश्चिम मरुस्थल का वह क्षेत्र जहाँ वनस्पति नगण्य या नाम मात्र की पाई जाती है, तथा वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। इस क्षेत्र में वर्षा 0 से 25 से.मी. तक होती है।

इस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियाँ बहुतायात में पायी जाती हैं।

1. **बालूका स्तूप युक्त प्रदेश :-** उत्तर पश्चिम मरुस्थल का वह क्षेत्र जहाँ धोरे / टीले या टीलों का निर्माण होता है। यह राजस्थान के कुल मरुस्थल का 48.5 प्रतिशत है।

बालूका स्तूप युक्त प्रदेश :-

बालूका स्तूप युक्त प्रदेश के अन्तर्गत राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित छः जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, अनूपगढ़, फलोंदी तथा चुरू व पश्चिमी नागौर एवं जोधपुर जिला शामिल हैं।

2. **बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश:-** उत्तर - पश्चिम मरुस्थल का वह क्षेत्र जहाँ धोरों का निर्माण नहीं होता है अर्थात् वह क्षेत्र जो चट्टानों से अच्छादित है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है। यह राजस्थान के कुल मरुस्थल का 41.5 प्रतिशत भाग है।

इस क्षेत्र में **जुरासिक काल के जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं** इसका उदाहरण **जैसलमेर जिले स्थित आँकल गाँव में 'बुड फॉसिल पार्क' है।**

नोट:- राज्य का **सबसे न्यूनतम वर्षा** वाला स्थान **सम गाँव जैसलमेर** जिले में स्थित है तथा यहीं गाँव (सम गाँव) राज्य का न्यूनतम वनस्पति या **वनस्पति रहित क्षेत्र है।**


इस क्षेत्र में जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील, बाड़मेर जिले की छप्पन की पहाडियाँ, फलोंदी जिले का कुछ पश्चिमी भाग इस प्रदेश के अन्तर्गत आता है।

1. बालूका स्तूप :-

- पवन द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण या जमाव होता है, तो बनने वाली संरचना बालूका स्तूप कहलाती है। जिन्हें टीले या टीबे भी कहा जाता है। तथा जैसलमेर की स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है।


बालूका स्तूप के प्रकार :-

1. बरखान :- पवन




- यह अर्द्धचंद्राकार आकृति का होता है इसका विस्तार शेखावटी क्षेत्र में जाता है, जिसमें सर्वाधिक चूरु जिले में है।
- यह सर्वाधिक नुकसानदायी एवं सर्वाधिक अस्थिर प्रकृति के होते हैं।

2. अनुप्रस्थ :- पवन



- ये हवा के लम्बवत् अर्थात् हवा के साथ समकोण पर बनने वाले स्तूप या टीले होते हैं।
- इनका विस्तार बाड़मेर, बालोतरा तथा जोधपुर ग्रामीण में पाया जाता है।

3. अनुदैर्घ्य / रेखीय :- पवन



- ये हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप / टीले होते हैं। इनका विस्तार जैसलमेर जिले में मुख्यतः पाया जाता है।

4. तारानुमा बालूका स्तूप :- पवन



- यह रेतीले मरुस्थल में पाए जाते हैं, तथा इनका निर्माण अनियमित हवाओं द्वारा होता है। इनमें न्यूनतम तीन या अधिक भुजा होती है।

16. अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भू-भाग का 9% भाग है जिस पर संपूर्ण राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है।

17. अरावली पर्वतमाला में मुख्य रूप से ढलान पहाड़ियों पर मक्का की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कंक्रीट लाल मिट्टी पाई जाती है।

प्रश्न -3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -

- अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है।
 - राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है।
 - राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है।
 - अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है।
- (A) A, B और C सही हैं।
(B) B, C और D सही हैं।
(C) C और D सही हैं।
(D) A और D सही हैं।

उत्तर - D

नोट - अरावली पर्वतमाला को अध्ययन की दृष्टि से मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा गया है -

1. उत्तरी - पूर्वी अरावली 2. मध्यवर्ती अरावली 3. दक्षिणी अरावली

- उत्तरी - पूर्वी अरावली** - इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, खैरथल तिवारा, झुंझुनू, सीकर, नीमकाथाना, डीडवाना, कुचामन, दौसा, अलवर, जिले में है। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियाँ अनवरत ना होकर दूर - दूर हो जाती हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की सामान्य ऊँचाई 450 मीटर से 700 मीटर तक है। इस प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ रघुनाथगढ़ (सीकर) 1055 मीटर, खोह (जयपुर ग्रामीण) 920 मीटर, भेराच (अलवर) 792 मीटर, बरवाड़ा (जयपुर ग्रामीण) 786 मीटर है।
- मध्यवर्ती अरावली** - इस भाग में अरावली का विस्तार कम पाया जाता है जो कि ब्यावर के समीप है इसकी सबसे ऊँची चोटी नाग पहाड़ियों में स्थित तारागढ़ (870 मीटर अजमेर) है इसकी समुद्र तल से ऊँचाई 550 मीटर है। अरावली का यह भाग कटा - फटा होने के कारण यहाँ अत्यधिक मात्रा में दर्रे (स्थानीय भाषा में नाल कटा कहा जाता है) पाए जाते हैं जैसे - भीलवाड़ा की नाल (पाली), सोमेश्वर की नाल (पाली), बर्बर दर्रा (पाली) यह मुख्य रूप से अजमेर, पाली, ब्यावर, राजसमंद व कुछ भाग नागौर में विस्तृत है।
- दक्षिणी अरावली** - यह मुख्य रूप से सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सलूमबर, डूंगरपुर में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊँची चोटी जरगा चोटी (1481 मीटर उदयपुर में) है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊँचाई 1000 मीटर है। इसमें

मुख्य रूप से फुलवारी की नाल (उदयपुर), केवड़ा की नाल (उदयपुर) हल्दीघाटी की नाल (राजसमंद) में प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं।

नोट - फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य तथा मानसी वाकल बेसिन के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में सर्वाधिक नदियों का उद्गम अरावली पर्वत से होता है जबकि सर्वाधिक नदियाँ कोटा संभाग में बहती हैं।

राज्य के प्रमुख पर्वत, पठार एवं पहाड़ियाँ का नाम एवं उनके बारे में विशेष विवरण -

- त्रिकूट की पहाड़ियाँ** - जैसलमेर दुर्ग इसी पहाड़ी में बना हुआ है
- त्रिकूट पर्वत** - करौली जिले में स्थित है। इस पर्वत पर प्रसिद्ध कैलादेवी मंदिर स्थित है।
- बरवाड़ा की पहाड़ियाँ** - यह पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है जबकि चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर जिले की तहसील है, जहाँ पर चोरों की रक्षक देवी चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर है।
- भामती की पहाड़ी** - यह बारां जिले में स्थित है शाहाबाद दुर्ग भी इसी पहाड़ी पर स्थित है
- सारण की पहाड़ियाँ** - यह पाली जिले में स्थित है इन पहाड़ियों पर मारवाड़ का भूला बिसरा राजा मारवाड़ का प्रताप / प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन की छतरी बनी है।
- मानी की पहाड़ी** - भरतपुर जिले में स्थित इन पहाड़ियों पर प्रसिद्ध बयाना दुर्ग स्थित है।
- नानी सिरडी की पहाड़ी** - यह पहाड़ियाँ राज्य के पाली जिले में स्थित है इन पर सोजत का किला स्थित है।
- तारागढ़ की पहाड़ियाँ** - यह पहाड़ियाँ अजमेर जिले में स्थित है इन की ऊँचाई 870 मीटर है
- तारागढ़ पर्वत** - यह पर्वत राज्य के बूंदी जिले में स्थित है।
- देशहरो** - जरगा तथा पहाड़ियों के मध्य हरियाली युक्त क्षेत्र को देशहरो क्षेत्र कहते हैं
- ऊपरमाल की पहाड़ियाँ** - बिजोलिया से भैंसरोड़गढ़ तक की क्षेत्र को ऊपरमाल की पहाड़ियाँ कहा जाता है देवगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर प्रसिद्ध छाजला आकार का दौसा दुर्ग स्थित है।
- हर्ष की पहाड़ियाँ** - हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिले में स्थित इन पहाड़ियों पर प्रसिद्ध जीणमाता का मंदिर है।
- उड़िया का पठार** राज्य के सिरोही जिले में स्थित है यह राज्य का सबसे ऊँचा पठार है। इसकी ऊँचाई 1360 मीटर है, जो गुरुशिखर के नीचे स्थित है।
- मामा भांजे की डूंगरी** - यह दौसा की लालसोट तहसील में स्थित है।
- भाकर** - सिरोही जिले में स्थित कटी -फटी पहाड़ियों को भाकर कहते हैं।

- **गिरवा** - उदयपुर जिले में तश्तरीनुमा क्षेत्र जिस पर उदयपुर बसा हुआ है।
- पंचेटिया या **चिड़िया टूक** - जोधपुर जिले में स्थित जिस पर **मेहरानगढ़ दुर्ग** स्थित है
- **भोराठ का पठार** - गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक का पठारी भाग। यह पठार अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के जलप्रवाह के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। इसकी ऊँचाई 1225 मीटर है। यह राज्य का दूसरा सबसे ऊँचा पठार है।
- **भोमट** - मेवाड़ का दक्षिणी - पश्चिमी भाग जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर तथा सिरोही का पूर्वी भाग शामिल है।
- **बिजासन की पहाड़ी** - भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तक का पठारी क्षेत्र
- **कालीखोह पर्वत श्रृंखला** - जयपुर से आगरा तक विस्तृत पहाड़ियाँ।
- **मानदेसरा का पठार** - इस पठार पर चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य स्थित है।
- **मेसा का पठार** - इस पठार की ऊँचाई 620 मीटर है। यह पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इस पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है।
- **क्रासका का पठार** - व कांकनबाड़ी का पठार - यह पठार अलवर जिले में स्थित है। इन दोनों पठारों पर सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है।

नोट: - **कर्नल जेम्स टॉड** ने कालीखोह पर्वत श्रृंखला को मीणा जनजाति का आदिम स्थान बताया है क्योंकि यह क्षेत्र में मीणा जनजाति अधिकांश मात्रा में निवास करती है।
राज्य की प्रमुख पर्वत चोटियाँ -

पर्वत चोटियों के नाम		जिला
गुरुशिखर पर्वत चोटी	-	सिरोही (1722 मीटर)
सेर पर्वत चोटी	-	सिरोही (1597 मीटर)
दिलवाड़ा पर्वत चोटी	-	सिरोही (1442 मीटर)
जरगा चोटी	-	उदयपुर (1431 मीटर)
धौलिया डूंगर	-	उदयपुर (1183 मीटर)
जेलिया डूंगर	-	उदयपुर (1166 मीटर)
जयराज पहाड़ी	-	सिरोही (1090 मीटर)
कामन मगरा चोटी	-	उदयपुर (989 मीटर)
बांकी का मगरा	-	उदयपुर (849 मीटर)
दुसानिया	-	उदयपुर (957 मीटर)
सज्जनगढ़	-	उदयपुर (938 मीटर)
नागपाणी	-	उदयपुर

ऋषिकेश चोटी	-	सिरोही (1017 मीटर)
अचलगढ़ पर्वत श्रृंखला	-	सिरोही (1380 मीटर)
टोडगढ़	-	ब्यावर (934 मीटर)
लोहागल पर्वत चोटी	-	(नवलगढ़) झुंझुनूं
भोजगढ़ पर्वत चोटी	-	नीमकाथाना
बबाई पहाड़ी	-	नीमकाथाना
अधवाड़ा पर्वत चोटी	-	झुंझुनूं (840 मीटर)
हर्ष पहाड़ी	-	सीकर
कमलनाथ पर्वत चोटी	-	उदयपुर
मालखेत की पहाड़ियाँ	-	सीकर
रघुनाथगढ़ पहाड़ियाँ	-	सीकर
कुंभलगढ़ पहाड़ियाँ	-	राजसमंद
भैंसराज चोटी	-	अलवर
खो पहाड़ी	-	जयपुर ग्रामीण
बैराठ पहाड़ी	-	कोटपूतली-बहरोड़
तारागढ़ पहाड़ी	-	अजमेर
नागपहाड़ी	-	अजमेर

प्रश्न -4. निम्नलिखित में से कौनसा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊँचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है ?

- देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा, तारागढ़
 - सेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़
 - जरगा, सेर, सज्जनगढ़, तारागढ़
 - जरगा, देलवाड़ा, तारागढ़, सज्जनगढ़ उत्तर - B
- पूर्वी मैदानी भाग**

- पूर्वी मैदानी भाग के बारे में जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला के पूर्व में नदियों के प्रवाह वाला क्षेत्र है।
- जब नदियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल का प्रवाह करती हैं तो अपने साथ मिट्टी, कंकड़ पत्थर, इत्यादि लेकर जाती हैं और धीमी प्रभाव वाले क्षेत्र में जमा कर देती हैं और इसी प्रकार इन सभी से मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है।
- इसी प्रकार अरावली के पूर्व में नदियों के प्रवाह के द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदानी भाग को "पूर्वी मैदानी भाग" के नाम से जाना जाता है इसलिए इस क्षेत्र में

दोमट / जलोढ़ / कछारी मिट्टी अधिकांश मात्रा में पाई जाती हैं।

इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र में राज्य के निम्नलिखित जिले आते हैं -

जयपुर, दौसा, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, करौली, गंगापुरसिटी, प्रतापगढ़, सलूम्बर, बाँसवाड़ा, इंगरपुर, अजमेर, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर।

पूर्वी मैदानी भाग राज्य के कुल हिस्से का 23.3% भाग बनाता है अर्थात् कुल राजस्थान के क्षेत्रफल के 23.3% हिस्से पर पूर्वी मैदानी भाग है जिस पर राज्य की कुल जनसंख्या का 39% हिस्सा निवास करता है।


चूँकि जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है इसलिए पूर्वी मैदानी भाग में निवास करने वाली

39% जनसंख्या में से अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस क्षेत्र में 50 सेमी. से 80 सेमी. मीटर तक वर्षा होती है।

इस प्रदेश में आर्द्र जलवायु तथा जलोढ़ दोमट मिट्टी के कारण सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न होता है, इस कारण इस प्रदेश को **खाद्यान्न का कटोरा** कहा जाता है।

अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदानी भागों को चार उप भागों में बाँटा गया है।

1. चम्बल बेसिन (चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र) -
2. बनास बेसिन (बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र)
3. माही बेसिन (माही नदी का प्रवाह क्षेत्र)
4. बाणगंगा बेसिन



चंबल बेसिन -

चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर है। इस प्रवाहित क्षेत्र को चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में चंबल के साथ इसकी सहायक नदियाँ भी बहती हैं

नोट :- भारत में सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति चंबल नदी के आस - पास मिलती है। उत्खात स्थलाकृति से आशय ऐसी भूमि से है जो कृषि योग्य नहीं है।


इसी क्षेत्र में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं

बीहड़ - नदियों के प्रभाव से मिट्टी का कटाव होने से बनी मिट्टी की कटी - फटी गहरी घाटियों को भी बीहड़ कहा

राजस्थान के जलवायु प्रदेश -

राजस्थान में लगभग सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है वह प्रदेश जहाँ विशिष्ट जलवायविक तत्वों में औसत आंतरिक समरूपता पाई जाती है, "जलवायु प्रदेश" कहलाता है।

इस दृष्टि से कोपेन, थार्नवेट, तथा ट्रिवार्थ ने राजस्थान की जलवायु को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है परंतु सामान्यतः राजस्थान में पांच प्रकार की जलवायु पाई जाती है -



1. शुष्क जलवायु प्रदेश -

क्षेत्र - जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग, फलोंदी, श्री गंगानगर जिला का दक्षिणी भाग और अनूपगढ़।

- वर्षा - 0 से 20 सेमी.,
- तापमान - 30 डिग्री से अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तक (गर्मियों में)
- 12 डिग्री से अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस तक (सर्दियों में)
- इस जलवायु प्रदेश में एंटीसोल मृदा तथा मरुद्विद (जीरोफाइट) प्रकार की वनस्पति पायी जाती है।

2. अर्द्ध शुष्क / स्टेपी जलवायु प्रदेश -

क्षेत्र - श्रीगंगानगर का उत्तरी भाग, पूर्वी बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नीमकाथाना, नागौर, डीडवाना-कुचामन, पाली, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जालौर, सांचौर, बालोतरा और उत्तरी भाग को छोड़कर शेष बाड़मेर।

- इस जलवायु प्रदेश में रेतीली बलुई मृदा (एरिडीसोल) तथा स्टेपी प्रकार की वनस्पति पायी जाती है।
- वर्षा -** 20 से 40 सेमी.,
- तापमान -** 32 से 36 डिग्री सेल्सियस (ग्रीष्मकाल) 10 से 17 डिग्री सेल्सियस (शीतकाल)

3. उप आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश -

क्षेत्र - जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूद, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, टोंक, दौसा, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा तथा पाली का पूर्वी भाग।

- इस जलवायु प्रदेश में सम जलवायु, मिश्रित पतझड़ वन (धौंकड़ा वन) तथा एल्फीसोल (जलोढ़ मृदा) पाई जाती है।
- वर्षा -** 40 सेंटी मीटर से 60 सेमी.,
- तापमान -** 28 से 34 डिग्री सेल्सियस (ग्रीष्मकाल) - 12 से 18 डिग्री सेल्सियस (शीतकाल)

4. आर्द्र जलवायु प्रदेश -

क्षेत्र - करौली, सर्वाईमाधोपुर, गंगानगरसिटी, धौलपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोंही और राजसमन्द।


- इस जलवायु प्रदेश में लाल-काली मृदा (इनसेप्टीसोल) तथा मिश्रित वनस्पति पायी जाती है।
- वर्षा -** 60 से 80 सेमी.,
- तापमान -** 32 से 34 डिग्री सेल्सियस (ग्रीष्मकाल में), शीतकाल में 14 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस

5. अति आर्द्र जलवायु प्रदेश -

क्षेत्र - इंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूमबर, कोटा, बारां, झालावाड़, तथा माउंट आबू।

- इस प्रदेश में सवाना और सदाबहार वनस्पति तथा मध्यम काली मृदा (वर्टीसोल) पायी जाती है।
- तापमान -** शीतकाल में 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस व ग्रीष्मकाल में 30 से 34 डिग्री सेल्सियस।
- वर्षा -** 80 से 150 सेमी. तक

कीर्षेन के अनुसारे जलवायु प्रदेश



निष्कर्ष -

- अतः वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण स्थानीय जलवायु में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं जैसे :- बाइमेर में बाढ़ आना, वर्षा की तीव्रता एवं आवृत्ति में परिवर्तन, ऋतु में अचानक परिवर्तन आदि । धारणीय विकास पर्यावरण और पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देकर इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

थार्नवेट के अनुसार जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण



महत्त्वपूर्ण प्रश्न

1. राजस्थान में "मावठ" का संबंध है-

- दक्षिण-पूर्व मानसून से
- उत्तर-पूर्व मानसून से
- पश्चिमी विक्षोभों से
- प्रत्यावर्ती मानसून से

उत्तर- (c)

2. राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है-

- भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर
- अरब सागर
- लाल सागर
- बाल्टिक सागर

उत्तर - (a)

3. निम्न में से राजस्थान की जलवायु का नियंत्रक है

- मृदा अपरदन
- कृषि क्षेत्र का विस्तार
- अरावली पर्वतमाला
- सिंचित क्षेत्र

उत्तर-(c)

4. राजस्थान में धूलभरी आँधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौनसी है?

- उच्च वार्षिक तापान्तर
- शीत ऋतु में उच्च वायुदाब
- संवहनीय क्रियाएँ
- तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशाएँ

उत्तर - (c)

5. राजस्थान के जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है, वह है-

- बाड़मेर
- जयपुर
- जैसलमेर
- बांसवाड़ा

उत्तर - (d)

6. राजस्थान के कौन से जिले 'आर्द्र दक्षिणी-पूर्वी मैदान' 'कृषि जलवायु प्रदेश के अन्तर्गत आते हैं?

- इंजरपुर तथा बांसवाड़ा
- इंजरपुर, बाँसवाड़ा तथा प्रतापगढ़
- राजसमन्द, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़
- कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर

उत्तर - (d)

7. राज्य का "आर्द्र जिला" कहलाता है-

- उदयपुर
- झालावाड़
- बाँसवाड़ा
- चित्तौड़गढ़

उत्तर - (b)

8. थार्नवेट के CAw में राजस्थान के कौनसे क्षेत्र सम्मिलित हैं-

- उत्तरी-पश्चिमी
- दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी
- उत्तर-पूर्वी
- दक्षिणी -पश्चिमी और मध्य

उत्तर - (d)

9. राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है?

- गेहूँ
- चना
- सरसों
- कपास

उत्तर - (d)

10. राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली "सम वर्षा" रेखा है -

- 25 सेमी. की
- 50 सेमी. की
- 100 सेमी. की
- 150 सेमी. की

उत्तर - (b)

अध्याय - 3

प्रमुख नदियाँ एवं झीलें

अपवाह तंत्र -

- जब नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल का प्रवाह करती है, तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं।
- अपवाह तंत्र में नदियाँ एवं उसकी सहायक नदियाँ शामिल होती हैं।
- जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियाँ मिल कर एक अपवाह तंत्र बनाती हैं उसी प्रकार सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ (झेलम, रावी, व्यास, चिनाब) मिलकर एक अपवाह तंत्र बनाती हैं।
- इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ भी अपवाह तंत्र बनाती हैं।
- भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है तथा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र वाली नदी ब्रह्मपुत्र है।

अब हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में।

- राजस्थान में कई नदियाँ हैं जैसे लूनी, माही, बनास, चंबला इसके अलावा यहाँ पर स्थित कई झीलें भी इस अपवाह तंत्र में शामिल होती हैं।
- प्रिय छात्रों जैसा कि आपको मालूम है राजस्थान में **अरावली पर्वतमाला** स्थित है, यह राजस्थान के लगभग बीच में स्थित है इसलिए यह **राज्य की नदियों का स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित करती है।**
- **इसके पूर्व में बहने वाली नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में तथा इसके पश्चिम में बहने वाली नदियाँ अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं।**
- राजस्थान के अपवाह तंत्र को हम दो भागों में विभक्त करेंगे फिर उनके अन्य क्रमशः 4 एवं 3 उप भाग होंगे -
 1. क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण
 2. अपवाह के आधार पर वर्गीकरण
- 1. क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण को चार भागों में बाँटा गया है -
 - (अ) उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान- इस तंत्र में लूनी, जवाई, सूकड़ी, बांडी, सागी जोजड़ी घग्घर, कातली नदियाँ शामिल होती हैं।
 - (ब) दक्षिण व पश्चिमी राजस्थान - इसमें पश्चिमी बनास, साबरमती, वाकल, व सेई नदियाँ शामिल होती हैं
 - (स) दक्षिणी राजस्थान - इसमें माही, सोम, जाखम, अनास मोरेन नदियाँ शामिल होती हैं।
 - (द) दक्षिण - पूर्वी राजस्थान - इसमें चंबल, कुनु, पार्वती, कालीसिंध, कुराल, आहू, नेवज, परवन, मेज, गंभीरी, छोटी

कालीसिंध, ढीला, खारी, माशी, कालीसिल, मोरेल, डाई, सोहादरा आदि नदियाँ शामिल होती हैं।

2. अपवाह के आधार पर वर्गीकरण - प्रिय छात्रों नदियों के विभाजन का सबसे अच्छा तरीका है और इसी आधार पर नदियों को तीन भागों में बाँटा गया है

(अ) बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ

इस अपवाह तंत्र में प्रमुख नदियाँ शामिल होती हैं। जैसे **चंबल, बनास, कालीसिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़च, गंभीरी, मेनाल, कोठारी, आहू, कालीसिंध तथा परवन आदि।** ये नदियाँ अरावली के पूर्व में बहती हैं इनमें कुछ नदियों का उद्गम स्थल अरावली का पूर्वी घाट तथा कुछ का मध्यप्रदेश का विंध्याचल पर्वत है यह सभी नदियाँ अपना जल यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं।

(ब) अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ -

इस अपवाह तंत्र में शामिल प्रमुख नदियाँ हैं। जैसे **माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूनी, जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी** इत्यादि। **पश्चिमी बनास, लूनी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं, ये सभी नदियाँ अरब सागर की ओर अपना जल लेकर जाती हैं।**

(स) अंतः प्रवाह वाली नदियाँ -

बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो कुछ दूरी तक प्रभावी होकर राज्य में अपने क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं तथा उनका जल समुद्र तक नहीं जा पाता है, इसलिए इन्हें आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ कहा जाता है, जैसे:-**काकनी, कांतली, साबी घग्घर, मेंथा, बांडी, रूपनगढ़** इत्यादि।

राजस्थान राज्य की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं -

राजस्थान की अधिकांश नदियों का प्रवाह क्षेत्र अरावली पर्वत की पूर्व में है।

- राजस्थान में चंबल तथा माही के अलावा अन्य कोई नदी बारह मासी नहीं है।
- राज्य में चूरू, बीकानेर व फलाँदी तीन ऐसे जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है।
- श्रीगंगानगर में पृथक् से कोई नदी नहीं है लेकिन वर्षा होने पर घग्घर नदी का बाढ़ का पानी सूरतगढ़, अनूपगढ़ तक चला जाता है।
- राज्य के 60% भू-भाग पर आंतरिक जल प्रवाह का विस्तार है।
- राज्य में सबसे अधिक सतही जल चंबल नदी में उपलब्ध है।

- अंत में रामगढ़ कोटा में यह कालीसिंध में मिल जाती है।
- बारां जिले में शेरगढ़ अभ्यारण इसी नदी के पास है।
- बारां जिले में इस नदी पर परवन परियोजना शुरू की गयी है।
- सहायक नदियाँ - धार, छापी, घोड़ा पछाड़, निमाव
- **सोहदरा :-**
- यह एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि टोरड़ी सागर बाँध को भरती है।
- यह नदी अजमेर जिले के दक्षिण में 13 किलोमीटर की दूरी पर अराय गाँव से निकलती है।
- दूंदिया गाँव (टोंक जिला) के निकट यह मानसी में मिल जाती है, तत्पश्चात् गलोद गाँव पर माशी के साथ संयुक्त रूप से बनास नदी में मिल जाती है।
- जिले के अंतर्गत इसका बहाव लगभग 75 किलोमीटर में क्षेत्रों में है।
- अन्य छोटी नदियाँ खारी व डाई हैं जो अजमेर की ओर बहती हैं और बनास नदी में मिल जाती हैं, पहली नेगड़िया के पास व दूसरी बीसलपुर पर बांडी जयपुर जिले की चाकसू तहसील से निकलती है और चतरपुरा के निकट मानसी में मिल जाती हैं।
- **रेवा नदी :-**
- यह नदी मध्यप्रदेश राज्य के भानपुरा तहसील की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम में प्रवाहित होती हुई बुद्ध नगर के निकट झालावाड़ जिले के पचपहाड़ तहसील में प्रवेश करती है।
- अंत में यह नदी भीलवाड़ा गाँव के निकट आहू से मिल जाती है।
- **गुंजाली :-**
- यह एक सहायक नदी है जो चंबल में मिल जाती है।
- इसका उद्गम मध्यप्रदेश में जाट गाँव के पास से है।
- दौलतपुर गाँव के निकट के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है और पूर्व की ओर बहती है।
- चित्तौड़गढ़ जिले में यह मोरेन, अमरगंज व कुआँखेड़ा गाँव से होकर निकलती है।
- अंततः अरनिया गाँव के पास यह चंबल नदी में मिल जाती है।
- **चंद्रभागा नदी :-**
- यह छोटी नदी है जो सेमली नामक गाँव के निकट से निकलती है।
- इसके पश्चात् यह झालरापाटन तहसील में केवल 7 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और खंडियाँ गाँव के निकट कालीसिंध में मिल जाती है।
- कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर झालरापाटन कस्बे के निकट चंद्रावती नामक स्थान पर स्नान के लिए हजारों व्यक्ति एकत्रित होते हैं।

2. अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ -

1. लूनी नदी -

- इस नदी का उद्गम स्थल अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी है।
- पुष्कर से गोविंदगढ़ (अजमेर) तक इसे साक्री के नाम से जाना जाता है।
- अजमेर में इसे साबरमती, सागरमती, या सरस्वती कहा जाता है, आगे चल कर इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है।
- यह अरावली के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी मरुस्थल की सबसे लंबी नदी भी है।
- इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे - मारवाड़ की जीवनरेखा, मरुस्थल की गंगा, आधी खारी आधी मीठी नदी, अंतः सलिला (जो कि कालिदास ने दिया था), रेल या नीड़ा (सांचौर में जाना जाता है)।
- राजस्थान में इसकी कुल लम्बाई लगभग 320 किलोमीटर है।
- अपवाह क्षेत्र - अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर आदि
- इस नदी की कुल लंबाई लगभग 495 किलोमीटर है जो कि पूर्णतया बरसाती नदी है। इसका जल बालोतरा तक मीठा तथा बाद में खारा हो जाता है इसलिए इसे आधी मीठी आधी खारी नदी के नाम से जाना जाता है।
- इसकी सहायक नदियाँ निम्न प्रकार हैं - सूकड़ी, जवाई, सगाई, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सागी इत्यादि।
- इसका अपवाह अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर जिले में है। सांचौर जिले में लूनी नदी के तेज प्रवाह के कारण इसे रेल या नीड़ा कहा जाता है।
- लूनी नदी के किनारे सरदार समंद परियोजना है।
- हल्दीघाटी के युद्ध की योजना अकबर ने इसी नदी के तट पर बनाई थी।
- लूनी एवं बनास राज्य की ऐसी नदियाँ हैं जो अरावली पर्वतमाला को मध्य में से विभाजित करती हैं।
- लूनी नदी से जोधपुर की जसवंत सागर बाँध को पानी की आपूर्ति होती है।
- लूनी नदी में दाईं ओर से केवल जोजड़ी नदी मिलती है इसका उद्गम नागौर के पोंडरु गाँव की पहाड़ियों से होता है।
- यह नदी अंत में सांचौर में बहकर गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और फिर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है।
- बालोतरा जिला लूनी नदी के दाये किनारे स्थित है।
- **माही नदी**
- इस नदी को दक्षिण की गंगा, कांठल की गंगा वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा या स्वर्ण रेखा आदिवासियों की जीवन रेखा कहा जाता है।

- इस नदी पर से ई परियोजना के तहत सुरंग का निर्माण किया गया है। इसके द्वारा इस नदी का जल पाली जिले के में स्थित जवाई बाँध में पहुंचाया जा रहा है।
- पाली जिले में स्थित जवाई बाँध को "मारवाड़ का अमृत सरोवर" कहा जाता है यह बाँध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बाँध है जो कि जवाई नदी पर निर्मित है।
- यह बाँध पाली जिले के सुमेरपुर कस्बे में स्थित है।

9. सोम नदी -

- इस नदी का उद्गम उदयपुर जिले के ऋषभदेव के पास बावलवाड़ा के जंगलों में स्थित बिछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है।
- इसकी कुल लम्बाई लगभग 50 किलोमीटर है।
- इसकी सहायक नदियाँ जाखम, टीडी, गोमती, सारनी आदि हैं।
- यह नदी उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में बहती हुई इंगरपुर जिले में स्थित बेणेश्वर नामक स्थान से नेवटपूरा में माही एवं जाखम नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है।

10. जाखम नदी -

- इस नदी का उद्गम प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी के भंवरमाता की पहाड़ियों से होता है।
- अंत में यह नदी इंगरपुर जिले में स्थित बेणेश्वर नामक स्थान के नेवटपूरा में माही तथा सोम के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है।

11. पश्चिमी बनास नदी -

- इस नदी का उद्गम सिरोही जिले से अरावली पर्वत से नया सानवारा गाँव की पहाड़ियाँ से होता है।
- राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता एवं शीतलता के लिए विख्यात माउंट आबू शहर इसी नदी के तट पर बसा है।
- इसी नदी के तट पर गुजरात राज्य का डीसा शहर बसा हुआ है।
- इसकी कुल लम्बाई 260 किमी है।
- सिरोही में बहकर यह गुजरात के बनासकांठा में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद कच्छ के लिटिल रन में प्रवेश कर जाती है।

12. लीलड़ी नदी -

- यह नदी अरावली पर्वत से निकलती है और पाली जिले के जैतारण तहसील के सुमेल और रास नामक गाँव से प्रवाहित होती हुई दक्षिण - पश्चिम की ओर मुड़ जाती है।
- इसी नाम की एक दूसरी नदी अरावली पर्वत से निकलती है और गोरिया एवं बोयल नामक गाँव से प्रवाहित होती हुई लगभग 45 किलोमीटर दूरी तय करती है।
- यह नदी सुकड़ी नदी से मिलती हुई नीमाच से प्रभावित होती है और अंत में लूनी नदी से मिल जाती है। इसके अलावा सूकड़ी, मित्री नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर की ओर बहती हैं।

13. चेप नदी :-

- यह नदी कालिंजरा की पहाड़ियों से निकलती है। प्रारंभ में उत्तरी दिशा में बहती है और फिर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई माही नदी में मिल जाती है।

14. सूकली नदी :-

- यह नदी पश्चिमी बनास की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो सिरोही जिले के दक्षिण-पश्चिम में आबू और निबाज की पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है।
- इस नदी के पूर्वी शाखा दाँत्राड़ गाँव के निकट की पहाड़ियों से निकलती है और पहले दक्षिण-पूर्व में और फिर दक्षिण-पश्चिम में लगभग 23 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है।
- सूकली की पश्चिमी शाखा सलवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और लगभग 40 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात् जावाल के निकट यह पूर्वी शाखा से मिल जाती है।
- यहाँ से इस नदी का नाम सीपू नदी हो जाता है।

15. मीठड़ी नदी :-

- यह छोटी नदी है जो जालौर जिले की अरावली पहाड़ियों से निकलती है।
- जालौर जिले के आहोर तहसील में यह मैदानी क्षेत्रों में लुप्त हो जाती है लेकिन इस जिले में यह डूडिया गाँव के निकट पुनः नदी का रूप धारण कर लेती है।
- बालोतरा जिले में यह नदी रजिया की ढाणी नामक गाँव में प्रवेश करती है और सेवाना तहसील के मोतीसरा और राखी नामक गाँव में प्रवाहित होती है।
- यह नदी बिलाड़ा तहसील में खोआसपुरा के निकट प्रवेश करती है और सिहारा, पोसाना, जालिवाड़ा, पिपाड़, बिलासपुर आदि गांवों से प्रवाहित होती हुई लूनी नदी से मिल जाती है।
- जोधपुर जिले में यह लगभग 81 किलोमीटर प्रवाहित होती है।
- वर्षा ऋतु में यह नदी करनावल नाला के माध्यम से मंगला नामक गाँव के निकट लूनी नदी से मिल जाती है।

16. सूकड़ी नदी :-

- यह नदी अरावली पर्वत श्रृंखला की मुख्य श्रेणी के पश्चिमी ढाल से देसूरी के निकट से निकलती है।
- इसका उद्गम देसूरी की पहाड़ियाँ पाली जिले से होता है और जालौर जिले में प्रवाहित होती हुई बालोतरा जिले में माजल - बरवा के निकट बालोतरा जिले में प्रवेश करती है।
- फिर यह बालोतरा जिले में 15 किलोमीटर बहती है और समदड़ी के निकट लूनी नदी से मिल जाती है।
- इस नदी की कुल लंबाई लगभग 100 मील है। यह एक बरसाती नदी है जैसा कि इसके नाम सूकड़ी से ही स्पष्ट है।
- इसके जल का उपयोग मुख्यतः कृषि कार्यों के लिए किया जाता है।

- इस नदी के किनारे माजल और जालिया नामक गाँव स्थित हैं।

17. सूकड़ी नं. 2 :-

- प्रारंभ में यह नदी बाइमेर जिले के धावन नामक गाँव में प्रवेश करती है और फिर लगभग 20 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात् सांचौर जिले में प्रवाहित होते हुए गोलिया गाँव के निकट लूनी नदी से मिल जाती है।
- इसके अतिरिक्त बाइमेर जिले के पचपदरा तहसील में लिक नाड़ी बाइमेर नगर के निकट, रानी गाँव नाला, कवास नाला और शिव तहसील का कोनायल नाला आदि जलधाराएँ भी महत्वपूर्ण हैं।

3. आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ

1. घग्घर नदी -

- इस नदी को अन्य नाम जैसे सरस्वती नदी, मृत नदी, नट नदी, के नाम से जाना जाता है
- इस नदी की कुल लंबाई लगभग 465 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लम्बाई लगभग 100 किमी है। इस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था।
- राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी घग्घर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट शिवालिक की पहाड़ियों (कालका माता के मंदिर के पास) से होता है।
- यह नदी पंजाब, हरियाणा में बहकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और भटनेर दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है। किंतु कभी-कभी अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में यह नदी श्रीगंगानगर जिले में भी प्रवेश करती है तथा यहाँ पर यह नदी तलवाड़ा झील का निर्माण करती है।
- इसके पश्चात् यह नदी सूरतगढ़, अनूपगढ़ में बहती हुई कभी-कभी पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में प्रवेश कर जाती है और अंत में फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक जाकर समाप्त हो जाती है।
- पाकिस्तान में इस नदी के बहाव क्षेत्र को हकरा नाम से जाना जाता है। हकरा एक फारसी शब्द है और पंजाब में इसे चितांग नाम से जानते हैं
- इस नदी को वैदिक काल में वृषद्वती नदी के नाम से जानते थे। ऋग्वेद के दसवें मंडल में इस नदी का उल्लेख है।
- इस नदी के कारण "श्रीगंगानगर" को राजस्थान का "धान का कटोरा" कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे नाली कहते हैं।
- यह राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कि पाकिस्तान में बहती है।
- इस नदी के मुहाने पर अनूपगढ़ जिला मुख्यालय स्थित है।
- वर्षा ऋतु में इस नदी में पानी अधिक होने के कारण यह नदी इस नदी राजस्थान में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है इसीलिए इसे "राजस्थान का शोक भी कहते हैं।

2. कांतली नदी -

- यह नदी सीकर जिले में स्थित खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है।
- कांतली का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है।
- यह नदी सीकर, नीमकाथाना व झुंझुनू में बहने के बाद झुंझुनू-चुरु की सीमा के पास मंडेला गाँव के समीप विलुप्त हो जाती है।
- यह एक मौसमी नदी है, क्योंकि यह केवल वर्षा की ऋतु में ही बहती है। कांतली नदी मिट्टी का कटाव अधिक करती है, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में "काटली नदी" कहा जाता है।
- प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता जो की नीमकाथाना में व सुनारी (खेतड़ी, नीमकाथाना) है, इस सभ्यता का विकास इसी नदी के तट पर हुआ है।
- गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है।
- लगभग 5000 वर्ष पूर्व नीमकाथाना जिले में इसी नदी के तट पर इस सभ्यता का विकास हुआ।
- यहाँ से मछली पकड़ने के 400 कांटे प्राप्त हुए इससे ज्ञात होता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व कांतली नदी में पानी की मात्रा रही होगी।
- कांतली नदी झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है। नीमका थाना इसी नदी के किनारे स्थित है।
- पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से कांतली नदी राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लम्बी नदी है।

3. साबी नदी -

- साबी का उद्गम जयपुर ग्रामीण जिले में सेवर की पहाड़ियों से होता है। जयपुर ग्रामीण से निकलने के बाद यह नदी कोटपतली-बहरोड़ जिले में प्रवेश करती है। पटौदी (गुरुग्राम, हरियाणा) की नजफगढ़ झील में विलीन हो जाती है।
- यह वर्षा ऋतु में अपनी "विनाश लीला" के लिए प्रसिद्ध है
- अकबर ने इस पर कई बार पुल बनाने का प्रयास किया था लेकिन वह असफल रहा था।
- जोधपुरा सभ्यता (कोटपतली-बहरोड़) नामक उत्खनन स्थल से "हाथी दांत के अवशेष" मिले हैं वह इसी नदी के तट पर स्थित है।

4. रूपायल नदी -

- रूपायल नदी का उद्गम अलवर जिले में स्थित उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है, रूपायल नदी को लसवारी नदी तथा वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी डीग जिले में प्रवेश कर समाप्त हो जाती है।
- इस नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 104 किमी है।
- सहायक नदी - शानगंगा, शूकरी, नारायणपुर

5. मेंथा (मेडा) नदी -

- मेंथा नदी का उद्गम जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित मनोहर थाना क्षेत्र की पहाड़ियों से होता है। मेंथा नदी उत्तर दिशा में बहकर जाती है और नागौर में प्रवेश कर सांभर झील

- दक्षिण एशिया में पहली बार विश्व झील सम्मेलन का आयोजन 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2007 को जयपुर में किया गया था।

अब हम खारे पानी की झीलों को सबसे पहले विस्तार में समझते हैं और फिर मीठे पानी की झीलों के बारे में पढ़ेंगे।

(अ) खारे पानी की झीलों -



1. सांभर झील

- राजस्थान के जयपुर - फुलेरा मार्ग पर जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित सांभर झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक एवं खारे पानी की झील है।
- इस झील का विस्तार 3 जिलों में है - जयपुर ग्रामीण, अजमेर और नागौर, लेकिन सर्वाधिक विस्तार जयपुर जिले में है और इसका प्रशासनिक अधिकार नागौर जिले का है।
- इस झील की लंबाई दक्षिण - पूर्व से उत्तर - पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 3 से 12 किलोमीटर है इसका कुल अपवाह क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर है।
- सांभर झील में मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी और खंडेला नदी आकर मिलती हैं। इस झील पर भारत सरकार की "हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी" द्वारा नमक उत्पादन कार्य किया जा रहा है।
- हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 ई. में की गयी। इस झील में प्रति 4 मीटर की गहराई पर 350 लाख टन नमक उत्पादन होता है जो भारत के कुल उत्पादन का 8.7% सांभर झील से ही उत्पादित होता है।


- इसे 1990 ई. में रामसर साइट में शामिल किया गया।
- इस झील में 'क्यारी पद्धति' द्वारा किया जाता है।
- सांभर झील में सर्दियों में फ्लेमिन्गो (राजहंस) पक्षी उत्तरी एशिया से बड़ी संख्या में आते हैं।

इस झील से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य -

- सांभर झील "स्वाइसरुबीना" नामक शैवालों के लिए प्रसिद्ध है। इस शैवाल से 60% प्रोटीन प्राप्त होता है।
- यह झील अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के लिए भी जानी जाती है जैसे -
- तीर्थ स्थली देव्यानी अर्थात् तीर्थों की नानी,
- शाकंभरी माता का मंदिर,
- संत हमीदुद्दीन की पुण्य भूमि,
- जहाँगीर की ननिहाल,
- अकबर की विवाह स्थली
- चौहानों की राजधानी

(ब) राजस्थान में मीठे पानी की झीलें -

राजस्थान में मीठे पानी की झीलें



शोर्ट ट्रिक

राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के नाम:-
“जयराज, अना, नदीसि कोका फतेह कर”

सूत्र	झीलें
जय	- जयसमन्द झील
राज	- राजसमन्द झील
अना	- अनासागर झील
न	- नक्की झील
डी	- डीडवाना झील
सि	- सिलिसेढ झील
को	- कोलायत झील
का	- कायलाना झील
फतेह	- फतेहसागर झील

विस्तृत वर्णन -

- पुष्कर झील -**
 - राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर (अजमेर शहर से 11 किलो मीटर दूर) स्थित पुष्कर झील एक प्रसिद्ध झील है।
 - ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया था इसलिए इस झील का नाम "पुष्कर झील" पड़ा, लेकिन भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है इसलिए इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है।
 - यह राजस्थान की प्राचीन, प्राकृतिक एवं सबसे पवित्र झील है।

अध्याय - 10

जैव विविधता एवं इनका संरक्षण

- जैव विविधता शब्द पहली बार 1986 में रोसेन ने Forum of Bio-Diversity में दिया था परन्तु इसकी संकल्पनात्मक व्याख्या विल्सन द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
- जैव-विविधता से आशय है विश्व में पायी जाने वाली कुल प्रजातियों की मात्रा या जीवन की विविधता को ही जैव-विविधता कहा जाता है।
- प्रजातियों की प्रचुरता किसी भी पारितन्त्र के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी आधार पर जैव-विविधता के कुल तीन प्रकार माने जाते हैं-

(1) पारितन्त्र विविधता :-

- किसी एक बायोम प्रदेश या जैव-मण्डलीय क्षेत्र में पाये जाने वाले कुल पारितन्त्र की प्रचुरता ही पारितन्त्र विविधता कहलाती है जैसे- विषुवतीय वर्षा वन प्रवाल भित्तियाँ तथा मैंग्रोव वनों में पारितन्त्र की विविधता उच्च पायी जाती है।

(2) प्रजाति विविधता :-

- किसी एक विशिष्ट पारितन्त्र में पाये जाने वाले कुल प्रजातियों की संख्या ही प्रजाति विविधता कहलाती है।
- चूँकि पारितन्त्र के प्रत्येक जैविक घटक एक-दूसरे से खाद्य ऊर्जा के रूप में अन्तर्संबंधित रहते हैं इसलिए जिस पारितन्त्र में प्रजाति विविधता उच्च पायी जाती है वह अधिक स्थायी माना जाता है।

(3) अनुवांशिक विविधता :-

- किसी एक प्रजाति विशेष में पायी जाने वाली कुल अनुवांशिक प्रचुरता संख्या को अनुवांशिक विविधता कहते हैं जैसे आंध्रप्रदेश बेसिन में चावल की सर्वाधिक अनुवांशिक विविधता पायी जाने के कारण ही इसे Rice Bowl of India कहते हैं।
- अनुवांशिक विविधता के आधार पर उप प्रजातियों की गणना की जाती है। जैसे यदि बाघ के अनुवांशिक विविधता की गणना करना है तो हमें तीन महत्वपूर्ण उप प्रजातियाँ प्राप्त होती हैं-

(अ) रॉयल बंगाल टाइगर (ब) अफ्रीकन टाइगर (स) साइबेरियन टाइगर आदि।

जैव विविधता के मापन- जैव विविधता का मापन तीन आधारों पर किया जाता है जिसकी गणना हम निम्नलिखित रूपों में करते हैं-

अल्फा जैविक विविधता - इसके अन्तर्गत किसी प्रदेश विशेष में पायी जाने वाली प्रजातियों की संख्या का वर्णन करते हैं।

बीटा जैविक विविधता - इसमें प्रजातियों की आपसी संरचना या संरचनात्मक विविधता का वर्णन करते हैं।

गामा जैविक विविधता - इसके अन्तर्गत पारितन्त्र की विभिन्न प्रजातियों के अन्तर्सम्बन्ध का अध्ययन किया जाता है।

Magnitude of Bio-Diversity (जैव विविधता के परिमाण)-

परिमाण के अन्तर्गत विश्व तथा भारत में प्राप्त होने वाली कुल जैव विविधता की बात की जाती है इसका वर्णन हम 2 वर्गों के अन्तर्गत करते हैं-

(1) वैश्विक जैव विविधता (2) भारतीय जैव-विविधता

वैश्विक जैव-विविधता को उसकी प्रचुरता तथा न्यूनता के आधार पर हम निम्नलिखित वर्गों में विभक्त करते हैं-

Extreme Bio-diversity Region-

(1) विषुवतीय वर्षा वन :-

- उच्च सूर्यतप तथा उच्च आर्द्रता के कारण पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता यही पायी जाती है।
- यहाँ विश्व का सर्वाधिक पादप एवं जन्तु समुदाय प्राप्त होता है।

(2) प्रवाल भित्तियाँ- महासागरों में प्रवाल भित्तियों के समीप विश्व की द्वितीय सर्वोच्च जैव-विविधता प्राप्त होती है। इसलिए इन्हें सागरीय वर्षा वन का दर्जा दिया गया है।

(3) मैंग्रोव वन :- मैंग्रोव वन क्षेत्रों एक महत्वपूर्ण ecotone हैं जिसे edge-effect के कारण स्थलीय तथा जलीय पादप एवं जन्तु समुदाय की विशेषताएँ प्राप्त हैं यहाँ जन्तुओं में उभयचर वर्ग तथा विभिन्न प्रकार के सरीसृप की प्रचुरता प्राप्त होती है।

(4) ज्वरनद मुख- ज्वरनदमुख में स्वच्छ जल एवं लवणीय जल दोनों की उपलब्धता पायी जाती है इसलिए इसे भी ecotone का दर्ज प्राप्त है। **High Bio-diversity-** इसके अन्तर्गत शीतोष्ण वन तथा घास भूमियाँ आती हैं।

- उष्णीतोष्ण कटिबन्धीय वनों को मिश्रित वनों के अन्तर्गत रखा जाता है जहाँ विभिन्न प्रकार के शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं की प्रधानता होती है परन्तु छोटे - मोटे सूक्ष्म जीव या अपघटकों की मात्रा सापेक्षिक रूप से कम पायी जाती है। घास भूमियाँ 2 प्रकार की होती हैं-

- सवाना घास तथा शीतोष्ण कटिबन्धीय स्टेपी घास भूमि।
- इन दोनों क्षेत्रों में पादप समुदाय की विविधता सापेक्षिक रूप से कम है परन्तु जंतु समुदाय की संख्या एवं विविधता उच्च पायी जाती है।

Medium Bio-diversity :-

- मध्यम विविधता वाले क्षेत्रों में टैगा वन तथा उप ध्रुवीय प्रदेशों में प्राप्त वनों को सम्मिलित किया जाता है।
- टैगा वनों में मुख्य रूप से शंकुधारी वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं जबकि जन्तु समूह समरहार (ferbaring) प्राप्त होते हैं।
- **How Diversity-** उष्ण कटिबंधीय मरुभूमियाँ तथा ध्रुवीय हिमाच्छादित क्षेत्रों में विश्व की न्यूनतम जैव विविधता पायी जाती है।

• पर्यटन उद्योग के रूप में तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग बन चुका है।

• पर्यटन विश्व में सबसे बड़े उद्योग के रूप में उभरा है, जिसकी वृद्धि दर भी सर्वाधिक है।

• अन्य आर्थिक सेक्टरों की तुलना में पर्यटन में निवेश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार सृजित होता है।

राजस्थान में पर्यटन विकास

• प्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्त्व को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्यटन विकास एवं पर्यटन को विकसित करने की दिशा में अनेक कारगर कदम उठाये हैं।

• राजस्थान में पर्यटन को व्यावसायिक स्वरूप दिया जा रहा है। वर्तमान में देश में आने वाला हर तीसरा पर्यटन राजस्थान आता है।

• राजस्थान में पर्यटन के विकास हेतु 1956 में पर्यटन विभाग एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यरत है।

• **राजस्थान टूरिज्म का पहला लोगो - ढोलामारु (1978)**
राजस्थान का पर्यटन प्रतीक क्या है?

• **राजस्थान टूरिज्म का लोगो (प्रतीक चिन्ह):-** पधारों म्हारे देश

• पधारों म्हारे देश लोगो को 1993 में ललित के. पवार द्वारा लांच किया गया।

• पर्यटन विभाग के नियंत्रण में दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्रमशः राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड तथा एक स्वायत्त संस्थान राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान (रिटमैन) कार्यरत हैं।

• 2019 में (मार्च तक) 128.94 लाख पर्यटकों ने (6.25 लाख विदेशी) ने राजस्थान भ्रमण किया।

• वर्ष 2018 में राज्य में 519.90 लाख पर्यटक (जिसमें 17.15 लाख विदेशी पर्यटकों)ने राजस्थान भ्रमण किया।

राजस्थान में पर्यटन विकास के विभिन्न प्रयास

पुष्कर रोप-वे का शुभारंभ

• **मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 3 मई, 2016 को पुष्कर में रोप-वे का शुभारंभ किया।**

• यह रोप-वे ट्रेक 700 मीटर लंबा है। इससे महज 6 मिनट में सावित्री मंदिर पहुँचा जा सकेगा।

• यह रोप-वे कोलकाता की दामोदर रोप-वे इंफ्रा लिमिटेड कम्पनी द्वारा निर्मित किया गया है।

• **राजस्थान का पहला रोप-वे सुंधा माता (जालौर) में स्थित है इसका निर्माण 2006 में किया गया तथा इसकी लम्बाई 800 मीटर है।**

पर्यटन इकाई नीति-2015

• इस नीति में पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है जिनमें होटल, मोटेल, हैरिटेज होटल, बजट होटल, रेस्टोरेन्ट, केम्पिंग साइट,

माइस / कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स रिसोर्ट, रिसोर्ट, हेल्थ रिसोर्ट, एम्पूजमेंट पार्क, एनिमल सफारी पार्क, रोप वे, ट्यूरिज्म लव्जरी कोच, केरावेन एवं कूज पर्यटन सम्मिलित है।

• नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन पर्यटन इकाईयों का भूमि सम्परिवर्तन निशुल्क होगा।

• नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान हैरिटेज सम्पत्तियों एवं हैरिटेज होटलों को भू-सम्परिवर्तन शुल्क से मुक्त किया गया है।

• हैरिटेज होटलों को पट्टा जारी करने के लिए पात्र माना जाएगा।

• सभी पर्यटन इकाईयाँ अपने लिए मानव संसाधन प्रशिक्षित करने हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अन्तर्गत रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण संस्थान के अनुमोदन के लिए पात्र होंगी।

कार्यक्रम

मेले/त्योहार का नाम	आयोजन तिथि
माही उत्सव, अस्थुना	जनवरी
ऊँट उत्सव, बीकानेर	जनवरी
पतंग उत्सव, जयपुर	जनवरी
सवाई माधोपुर स्थापना दिवस	19, जनवरी
शेखावाटी हस्तशिल्प मेला, झुंझुनू	जनवरी
कांठल महोत्सव, प्रतापगढ़	जनवरी
विन्टेज कार रैली, जयपुर	जनवरी
नागौर उत्सव, नागौर	जनवरी
बैणेश्वर मेला, डूंगरपुर	जनवरी
मरु उत्सव, जैसलमेर	जनवरी
वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, उदयपुर	फरवरी
नेवल बैंड कन्सर्ट, जयपुर	फरवरी
जालौर उत्सव, जालौर	फरवरी
भरतपुर स्थापना दिवस, भरतपुर	19, फरवरी
फोटो फेस्टिवल, जयपुर	फरवरी
बृज होली फेस्टिवल एवं बर्ड फेयर, भरतपुर	फरवरी
मसाला चॉक लॉचिंग एम्फीथियेटर, जयपुर	फरवरी
धुलण्डी उत्सव, जयपुर	मार्च
जौहर मेला, चित्तौड़गढ़	मार्च 28-30
राजस्थान दिवस, जयपुर	मार्च
गणगौर मेला, जयपुर	मार्च
मेवाड़ समारोह, उदयपुर	मार्च, अप्रैल

महावीर जी मेला, करौली	अप्रैल
नदबई भरतपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम	अप्रैल
ग्रीष्म समारोह, माउण्ट आबू	मई
जोधपुर स्थापना दिवस, जोधपुर	12, मई
पृथ्वीराज जयन्ती, अजमेर	12, मई
प्रताप जयन्ती मेला, राजसमंद	16 - 18 जून
जगन्नाथ जी मेला, अलवर	जुलाई
तीज उत्सव, नई दिल्ली	जुलाई
तीज उत्सव, जयपुर	जुलाई
मीरा महोत्सव, चित्तौड़गढ़	जुलाई,
कामां उत्सव, भरतपुर	अगस्त
महाराजा दाहरसेन जयन्ती, अजमेर	अगस्त
कजली तीज, बूँदी	अगस्त
गोगामेडी मेला, हनुमानगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम	अगस्त
डिग्गी मेला टॉक	अगस्त, सितम्बर
स्मार्ट सिटी एक्सपो, जयपुर	सितम्बर
डोल मेला, बारां में सांस्कृतिक कार्यक्रम	अक्टूबर
कोटा दशहरा मेला, कोटा	अक्टूबर
मारवाड़ उत्सव, जोधपुर	अक्टूबर
पर्यटन पर्व, राजस्थान	अक्टूबर
सार्क सूफी फेस्टिवल	अक्टूबर
इंडिया म्यूजिक समिट, जयपुर	अक्टूबर
खलखाणी माता, जयपुर	अक्टूबर
आभानेरी उत्सव, दौसा	सितम्बर
भारत पर्व, दिल्ली	अक्टूबर
पुष्कर मेला, अजमेर	अक्टूबर, नवम्बर
डूंगरपुर / वागड़ स्थापना दिवस	29-31 अक्टूबर
कोलायत मेला, बीकानेर	नवम्बर
चन्द्रभागा मेला, झालावाड़	नवम्बर
बूँदी उत्सव, बूँदी	नवम्बर
लेक फेस्टिवल, उदयपुर	नवम्बर

- राज्य में पर्यटन विकास के लिए सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। यह राजस्थान के निवासियों के लिए रोजगार एवं आय की असीम संभावनाएँ रखता है।
- कलेंडर वर्ष 2020 के दौरान 155.63 लाख (151.17 लाख स्वदेशी एवं 4.46 लाख विदेशी) पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया।

महत्वपूर्ण उपलब्धिया

वर्ष 2020 में प्राप्त महत्वपूर्ण पुरस्कार

- 22 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड के अन्तर्गत राजस्थान को "बेस्ट इण्डिया वेडिंग डेस्टिनेशन" पुरस्कार ।
- अक्टूबर, 2020 में कॉन्डेनॉस्ट रिडर्स चॉईस अवार्ड - 2020 अन्तर्गत पैलेस ऑन व्हील्स-सेकण्ड लव्हीरियस ट्रेन इन द वर्ल्ड अवार्ड ।
- 26 अक्टूबर, 2020 को नई दिल्ली में पिक सिटी जयपुर को-बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कन्ट्री एवं रणथम्भौर (सवाई माधोपुर) - बेस्ट वाइल्ड लाईफ डेस्टिनेशन इन द कन्ट्री अवार्ड प्राप्त हुए।
- 25 नवम्बर, 2020 को ट्रेवल और लीज़र इण्डिया एण्ड साउथ एशिया के अन्तर्गत राजस्थान को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन अवार्ड ।
- 29 नवम्बर, 2020 को ट्रेवल और लीज़र इण्डिया एण्ड साउथ एशिया के अन्तर्गत राजस्थान को बेस्ट वेडिंग एण्ड हनीमून डेस्टिनेशन अवार्ड प्राप्त हुआ।

सिंधु दर्शन यात्रा योजना

- लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन यात्रा योजना 2015-16 में लागू की गई।
- इसके तहत तीर्थ यात्रा पर जाने वाले प्रदेश के 200 तीर्थ यात्रियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सिंधु दर्शन सहायता राशि दी जायेगी।

प्रसाद और हृदय योजना

- धार्मिक यात्रा के कार्याकल्प और आध्यात्मिक सुदृढीकरण और हेरीटेज सिटी के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने निम्न दो नई योजनाएँ प्रसाद और 'हृदय योजना बनाई हैं।

प्रसाद योजना

- तीर्थस्थल पुनरुद्धार व आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन - National Mission on Pilgrimage
- Rejuvenation and Spiritual Augmentatiojn Drive
- केन्द्र सरकार द्वारा यह योजना 9 मार्च, 2015 को लांच की गई।
- इसके तहत प्रारम्भिक रूप से 12 शहर अजमेर, अमृतसर, - अमरावती, द्वारिका, गया, काँचीपुरम, केदारनाथ, कामख्या, मथुरा, पुरी, वाराणसी व वेल्लाकनी में विकास कार्य किए जाएंगे।

हृदय योजना

- यह विरासत नगरों की विशिष्टताओं के संरक्षण और परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय विरासत नगर विकास और संवर्द्धन योजना (HRIDAY-National Heritage Development & Augmentation Yojana) है।
- इस योजना को 22 जनवरी, 2015 को लांच किया गया।

अध्याय - 5

मौलिक अधिकार (मूल अधिकार)

भारत के संविधान के भाग तीन में अनु. 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित प्रावधान हैं।

मौलिक अधिकारों की अवधारणा को U.S.A से अपनाया गया है। भारत की व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित महत्व हैं।

- (1) मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात् कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति में भागीदारी कर सकता है और प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर प्रशासन का हिस्सा बन सकता है।
- (2) मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार की तानाशाही अथवा व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नियंत्रण स्थापित होता है।
- (3) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा स्थापित होती है।
- (4) मौलिक अधिकारों के माध्यम से विधी के शासन की स्थापना होती है।
- (5) मौलिक अधिकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक और दुर्बल वर्ग को सुरक्षा प्राप्त होती है।
- (6) मौलिक अधिकारों के माध्यम से पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को सुरक्षा प्राप्त होती है और इसको बढ़ावा मिलता है।
- (7) मौलिक अधिकार सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय यात्रा की स्थापना करते हैं।
- (8) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा होती है।
- (9) मौलिक अधिकार सार्वजनिक हित एवं राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देते हैं।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ

- (1) मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं। अर्थात् मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुरक्षा के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- (2) कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से सम्बंधित हैं। जबकि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबन्धित हैं।
- (3) मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाया गया है।
- (4) मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गये हैं। इसलिए ये राज्य के लिए नकारात्मक जबकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक हैं।
- (5) ये राज्य के प्राधिकार की कम करते हैं और व्यक्ति के सम्मान को बढ़ावा देते हैं।
- (6) संसद को भी यह अधिकार नहीं कि वह मौलिक अधिकार से सम्बंधित मूल ढांचे में परिवर्तन कर सके। (नकारात्मक परिवर्तन)

- (7) आपातकाल के समय अनु. 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।
- (8) मौलिक अधिकार शत्रु देश के नागरिक तथा अन्य देशों को प्राप्त नहीं हैं।

प्रश्न. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए?

A. मूलअधिकारों एवं राज्य नीति के निदेशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपनाया गया है।

B. 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 39(ख) एवं (ग) में उल्लेखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों की वरीयता से संस्थापित की है।

कूट -

- a. केवल A सही है।
- b. केवल B सही है।
- c. (A) एवं (B) दोनों सत्य हैं।
- d. (A) एवं (B) दोनों गलत हैं।

उत्तर - c

मौलिक अधिकारों की आलोचना -

- (1) इनका कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है। अधिकांश मौलिक अधिकारों की व्याख्या उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दी गई है।
- (2) इनमें स्पष्टता का अभाव है और ये सामान्य लोगों की समझ से बाहर हैं।
- (3) मौलिक अधिकार आर्थिक व्यय की स्थापना नहीं करते।
- (4) आपातकाल के समय इनका निलंबन हो जाता है।

note- अनुच्छेद - 21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता।

- (5) निवारक निरोध जैसे प्रावधान मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हैं और राज्य को नागरिकों पर हावी कर देते हैं।
- (6) संसद के अधिकार हैं कि अनुच्छेद - 368 का प्रयोग कर इनमें कमी कर सकती है।
- (7) मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में मिलने वाला न्याय अत्यधिक महंगा है तथा प्रक्रिया जटिल है।

मौलिक अधिकार

अनु. 12 राज्य -	अनु. 13
(i) संघ सरकार एवं संसद	कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो अतिक्रमण की सीमा तक शून्य हो जाएगी।
(ii) राज्य सरकार एवं विधानमंडल	
(iii) स्थानीय प्राधिकरण / प्राधिकारी	विधि (i) स्थाई विधि - संसद एवं विधानमण्डल द्वारा निर्मित

<p>(iv) सार्वजनिक अधिकारी अन्य वे निजी संस्थाए जो राज्य के लिए कार्य करती हो</p>	<p>(ii) अस्थाई विधि - जब राष्ट्रपति व राज्यपाल अध्यादेश जारी करें।</p> <p>(iii) कार्यपालिका के द्वारा निर्मित नियम/विधि</p> <p>(iv) ऐसी विधि जो संविधान पूर्व की हो</p>
--	---

प्रश्न. निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है?

- देश के किसी भाग में बसने का अधिकार
- लिंग समानता का अधिकार
- सूचना का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार

उत्तर - c

(I) समता का अधिकार :- (अनु. 14-18)

(i) विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण-

संविधान के अनु० 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान है। **विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से प्रभावित है।** विधि के समक्ष समता से आशय है, विधि सर्वोच्च होगी। और कोई भी विधिक व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा। विधि के समक्ष समता की निम्नलिखित विशेषताए होती हैं-

- कोई भी व्यक्ति (गरीब, अमीर, प्राधिकारी अथवा सामान्य व्यक्ति, सरकारी संगठन गैर सरकारी संगठन) विधि से ऊपर नहीं होगा।
- किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार नहीं होंगे।
- न्यायालय सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा। विधि के समक्ष समता के सिद्धांत के भारत के संबंध में निम्नलिखित अपवाद हैं।
- (i) भारत का राष्ट्रपति अथवा राज्यों के राज्यपाल पर पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
- (ii) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को इन पदों पर रहते हुए लिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।
- (iii) कोई व्यक्ति यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को उसी रूप में प्रकाशित करता है तो उसे दोषी नहीं माना जायेगा।
- (iv) संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदन की कार्यवाही के आरम्भ होने के 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले में न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।
- (v) विदेशी राजनयिक अथवा कूटनीतिज्ञ फौजदारी मामलों एवं दीवानी मामलों से मुक्त होंगे।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे - UNO, ADB, WB, IMF आदि के अधिकारी एवं कर्मचारी दीवानी एवं फौजदारी मामलों से मुक्त होंगे।

विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा U.S.A. की देन है।

विधियों के सामान संरक्षण से आशय है। "समान के साथ सामान व्यवहार तथा असमान के साथ असमान व्यवहार"

इस अवधारणा को सकारात्मक माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से किसी के साथ अन्याय नहीं होता।

भारत में बाल सुधार कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष कानून, महिलाओं के लिए विशेष कानून इसका उदाहरण है।

कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध

- अनु. 15 में यह प्रावधान है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। यह व्यवस्था राज्य और व्यक्ति दोनों पर समान रूप से लागू होती है।
- इसमें प्रावधान है कि राज्य के द्वारा दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, मनोरंजन के स्थान आदि पर उपर्युक्त आधारों पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- इसके अलावा राज्य निधि से पोषित कुओं, तालाबों, स्नानघाट आदि का प्रयोग करने से किसी व्यक्ति को उपर्युक्त आधारों पर रोका नहीं जायेगा।
- इसमें यह भी प्रावधान है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है।
- इसमें यह भी व्यवस्था है कि राज्य SC, ST तथा शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण कर सकता है।
- इसमें प्रावधान है कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण कर सकता है।

लोक नियोजन के सम्बन्ध में अवसर की समता (अनु. - 16)

अनु. 16 में यह प्रावधान कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अवसर की समता होगी। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

लेकिन निम्नलिखित मामलों में अवसर की समता के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा सकता है -

- (1) संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवासी की शर्त शामिल कर सकती है। इसी प्रावधान के तहत अनेक राज्यों में राज्य के मूल निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं।
- (2) किसी धर्म से संबंधित नियुक्ति के मामले में धर्म विशेष के होने की सीमा लगाई जा सकती है।
- (3) विशेष वर्ग के लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है। जैसे- SC, ST, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग तथा

शिक्षा का अधिकार :- (अनु.21-A)

86 वे संविधान संशोधन अधि. - 2002 के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि **राज्य 6-14 आयु वर्ग के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा।**

इसके संबंध राज्य विधी बनाकर शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसी प्रावधान के तहत **निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया।** व्यवहारिक रूप में 2010 से पहले इस मौलिक अधिकार की प्रकृति नीति निर्देशक तत्वों के समान ही थी

अनु. 22 :- निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण :-

इसके तहत व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं -

- (i) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा।
- (ii) गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी पसंद के वकील से परामर्श ले सकता है।
- (iii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायिक अधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सामने प्रस्तुत करना होगा। इन 24 घंटों में यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक निरोध के तहत की जाती है तो उपर्युक्त अधिकार प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को तीन माह तक मजिस्ट्रेट सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि को केवल तब ही बढ़ाया जा सकता है। जब उच्च न्यायालय के न्यायधीशों का बोर्ड यह प्रमाणित करे कि अवधि बढ़ाई जाने की आवश्यकता है।
- (iv) अनु.22 से सम्बंधित अधिकार किसी विदेशी को भी प्राप्त नहीं होते।

(3) मानव व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबन्ध (अनु. 23)

- मानव दुर्व्यव्यापार से आशय है कि महिला पुरुष बच्चों की वस्तुओं के समान खरीद अथवा बिक्री करना।
- इसमें देह व्यापार के लिए क्रय विक्रय अथवा शरीर के अंगों के क्रय विक्रय आदि को भी शामिल किया जाता है।
- इसी प्रकार किसी व्यक्ति से बलात् श्रम नहीं करवाया जा सकता। बलात् श्रम से आशय है, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य करवाना।
- लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। लेकिन वह कार्य करने से इंकार करता है तो उससे कार्य करवाना बलात् श्रम नहीं माना जायेगा।
- इसी प्रकार किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी एवं बेगार नहीं करवाई जा सकती।
- लेकिन राज्य को यह अधिकार है कि सार्वजनिक उद्देश्य अथवा आपदा के मामले में अनिवार्य सेवा के नियम को लागू किया जा सकता है।

- और ऐसी सेवा के बदले राज्य भुगतान करने के लिए भी बाध्य नहीं है। लेकिन राज्य इस सम्बन्ध में धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

बाल श्रम का प्रतिषेध (अनु. 24)

- इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता।
- लेकिन SC ने यह निर्णय दिया है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक अपने माता-पिता अथवा अभिभावक के ऐसे कार्य में सहयोग कर सकता है जिसमें जोखिम ना हो, तथा उसकी शिक्षा एवं खेल पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता हो।
- इसी प्रकार 14 से 18 वर्ष की आयु के किसी बालक को जोखिम वाले कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता।
- 2006 में केन्द्र सरकार के द्वारा यह नियम बनाया गया कि कोई भी बालक होटल, चाय की दुकान, अन्य सामान्य दुकान आदि में नियोजित नहीं किया जायेगा।
- ऐसा करना दण्डनीय अपराध होगा। जिसमें आर्थिक जुर्माना तथा कारावास दोनों शामिल हैं।

(4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25-28):-

अनु. 25 - इसमें प्रावधान है कि -

- (a) प्रत्येक व्यक्ति की अन्तःकरण की स्वतंत्रता होगी अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति अपने आराध्य को अपने तरीके से मानने अथवा अपनाने के लिए स्वतंत्र है।
 - (b) प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को बिना किसी भय के मानने की स्वतंत्रता रखता है।
 - (c) प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से अपने आराध्य की उपासना कर सकता है।
 - (d) प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों का प्रचार कर सकता है। लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, एवं स्वास्थ्य के आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- इसी प्रकार राज्य को यह अधिकार है कि हिन्दुओं से सम्बंधित धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं के सभी वर्गों के लिए खोला जा सकता है।
 - अनु. 25 में यह भी प्रावधान है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का मुख्य अंग माना जाएगा।

अनु. 26 :- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को यह अधिकार होगा कि -

- (a) धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करे एवं उनका संचालन करे
- (b) अपने धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंध करे।
- (c) जंगम/चल या स्थावर/अचल सम्पत्ती का अर्जन करे। और उस पर स्वामित्व स्थापित करे।
- (d) उपर्युक्त संपत्ती का विधी के अनुसार प्रबंधन करने का अधिकार।

अध्याय - 11

उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुत्राविलोकन

भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया गया है। न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की होती है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय माध्यमिक स्तर पर उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर जिला अदालत होती है।

- 1793 में कॉर्नवालिस के शासनकाल में निचली अदालतों का गठन किया गया।
- 1861 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के अनुसार प्रथम तीन उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। (बम्बई, मद्रास, कलकत्ता,)
- 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट का गठन किया गया। यही वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है। इन अदालतों की डंड प्रणाली एवं कार्य प्रणाली ब्रिटिश काल में ही निर्मित हो गई थी
- 1860 में आईपीसी इंडियन पैनल कोर्ट का गठन हुआ। 1862 में इसे लागू कर दिया गया।
- 1908 में सिविल प्रोसेशन कोर्ट अस्तित्व में है।
- 1973 में क्रिमिनल कोर्ट प्रोसेशन कोर्ट अस्तित्व में आई।
- **भारत में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। (सर्वोच्च न्यायालय)**
- सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है।
- भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद की है।
- **भारतीय न्यायपालिका की स्थिति U.S.A. एवं U.K. के मध्य में है।**
- U.S.A. में न्याय सर्वोच्चता की स्थिति है।
- फेडरल कोर्ट संसद से अधिक शक्तिशाली है।
- U.K. में संसदीय संप्रभुता की स्थिति है। संसद, न्यायपालिका की स्थिति में श्रेष्ठ है। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्याय व्यवस्था के मध्य की स्थिति को अपनाया गया।
- संविधान के दायरे में दोनों ही शक्तिशाली हैं।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (आर्टिकल - 124)

- 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, परंतु वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट 1935 के फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है। 28 जनवरी 1950 से अस्तित्व में है।
- मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है।

परंतु 1993 से ही सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम निर्णायक भूमिका निभा रहा है।

- इस कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के साथ चार वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं।
- राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है तथा यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकते।
- **[जब सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वाहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे परमादेश (मैंडमस) कहते हैं।]**

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता (योग्यता)

- किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो।
- किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।
- राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता रहा हो।
- H. J. Kania सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
- वर्तमान JI → उदय उमेश ललित (49वाँ) N.V. रमन्ना (48 वाँ)
- K. N. Singh मात्र 18 दिन तक ही मुख्य न्यायाधीश रहे।
- राजेंद्र बाबू मात्र 23 दिन तक ही मुख्य न्यायाधीश रहे।
- Y. V. Chandrachud भारत के सबसे अधिक समय तक सीजीआई थे।
- 1973 में ए. एन. राय को वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन करते हुए सीजेआई बनाया गया।
- फातिमा बीवी पहली महिला न्यायाधीश थी। (सुप्रीम कोर्ट)
- वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 11 महिला न्यायाधीश हैं।
- अन्य महिला न्यायाधीश हैं - सुजाता मनोहर, रमा पाल, ज्ञान - सुधा - मिश्रा, रंजना प्रकाश देसाई।
- अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना, का प्रावधान है।
- **[महान्यायवादी, इसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन वोट डालने का नहीं।]**
- **[महान्यायवादी, जो संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है।]**
- **[महान्यायवादी को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।]**

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया

- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कार्यकाल के बीच से केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है।
- कदाचार एवं शारीरिक एवं मानसिक असमर्थता के आधार पर भी हटाया जा सकता है।

- किसी भी सदन द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है। परंतु इसके लिए लोकसभा के कम से कम 100 अथवा राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा लिखित प्रस्ताव देना होता है।
 - इस प्रस्ताव के बाद संबंधित सदन में सभापति के सदस्यों द्वारा 3 सदस्यी समिति का गठन किया जाता है।
 - इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा एक विधिवेत्ता (कानून विशेषज्ञ) शामिल होता है। समिति की रिपोर्ट के बाद सभापति द्वारा एक सत्र बुलाए जाने का प्रस्ताव रखा जाता है।
 - यह प्रस्ताव एक ही सत्र में पारित होना चाहिए।
 - इस प्रस्ताव को प्रत्येक सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित करता है।
 - दूसरे सदन के न्यायाधीशों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर न्यायाधीश को पद मुक्त कर दिया जाता है।
 - अभी तक हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों के प्रति यह प्रस्ताव लाया जा चुका है, परंतु यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।
1. 90 के दशक में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश सी वी रामास्वामी के विरुद्ध प्रस्ताव लोक सभा में गिर गया था।
 2. हाई कोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ प्रस्ताव राज्य सभा ने पारित कर दिया व उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।
 3. हाई कोर्ट के ही न्यायाधीश S. Dinkaran ने समिति की रिपोर्ट आने के बाद त्याग पत्र दे दिया।
- राष्ट्रपति की सहमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट की भूमिका**
- सुप्रीम कोर्ट अपील की सबसे बड़ी अदालत है।
 - हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, परंतु इसके लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।
 - **कोर्ट मार्शल अदालतों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती।**
 - **प्रारंभिक अपील** - निम्न स्थितियों में पहली अपील सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है।
 - मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले। (आर्टिकल - 32)
 - यदि किसी मुकदमे में एक पक्ष भारत सरकार का हो।
 - जब दो राज्यों के मध्य विवाद हो।
 - राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में।
 - इसी बेंच में यह निर्णय लिया गया कि संविधान का मूल चरित्र उल्लंघनीय है।
 - **राष्ट्रपति का सलाहकार**
 - **सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 व 143 के तहत राष्ट्रपति को न्यायिक सलाह प्रदान करता है।**

- [आर्टिकल 124 के तहत दी गई सलाह एक बाध्यकारी होती है, तथा आर्टिकल 143 के तहत दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं होती।]
- सुप्रीम कोर्ट आवश्यक अनुच्छेद के तहत मांगी गई सलाह को देने के लिए बाध्य है।

प्रश्न. भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं / आता है?

- (A) भारत का महान्यायावादी
(B) भूतपूर्व राष्ट्रपति
(C) चीफ ऑफ स्टारक्स
(D) लोकसभा अध्यक्ष

उत्तर - B

• **न्यायिक पुनरावलोकन / समीक्षा**

न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है।

कानून की अवधारणा:

- **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया:** इसका अर्थ है कि विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा अधिनियमित कानून तभी मान्य होता है जब सही प्रक्रिया का पालन किया गया हो।
- **कानून की उचित प्रक्रिया:-** यह सिद्धांत न केवल इस आधार पर मामले की जाँच करता है कि कोई कानून किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित तो नहीं करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून उचित और न्यायपूर्ण हो।
- भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
- **न्यायिक समीक्षा के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे- सरकारी कार्रवाई को रोक बनाना और सरकार द्वारा किये गए किसी भी अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण करना।**
- न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना (इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस 1975) माना जाता है।
- न्यायिक समीक्षा को भारतीय न्यायपालिका के व्याख्याकार और पर्यवेक्षक की भूमिका में देखा जाता है।
- स्वतः संज्ञान के मामले और लोक हित याचिका (PIL), लोकस स्टैंडी (Locus Standi) के सिद्धांत को विराम देने के साथ ही न्यायपालिका को कई सार्वजनिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई है, उस स्थिति में भी जब पीड़ित पक्ष द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई हो।

न्यायिक समीक्षा के प्रकार:

विधायी कार्यों की समीक्षा:

इस समीक्षा का तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि विधायिका द्वारा पारित कानून के मामले में संविधान के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें - ↓ (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न, 150 में से)

RAS Pre 2023 - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न, 150 में से)

UP Police Constable 2024 - <http://surl.li/rbfyn> (98 प्रश्न, 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - <https://youtu.be/gPqDNlc6UR0>

Rajasthan CET 12th Level - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>

RPSC EO / RO - <https://youtu.be/b9PKj14nSxE>

VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - <https://youtu.be/2gzzfJyt6vl>

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

whatsapp - <https://wa.link/klbi9k> 1 web.- <https://bit.ly/leo-ro-notes>

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (1 st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1 st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21 नवम्बर 2021 (1 st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1 st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

whatsapp - <https://wa.link/klbi9k> 2 web.- <https://bit.ly/leo-ro-notes>

Our Selected Students

Approx. 483+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	11419512037002 2	PratapNag ar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
	Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati	SSC CHSL tier- 1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	Mahender Singh	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumang arh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumang arh
N.A	Mangilal Siyag	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumang arh
N.A	Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawa la
N.A	LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	Ramchandra Pediwal	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village- gudaram singh, teshil-sojat
N.A.	OM PARKSH	RAS	N.A.	Teshil- mundwa Dis- Nagaur
N.A.	Sikha Yadav	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A.	mukesh kumar bairwa s/o ram avtar	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUN U
N.A.	Rinku	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	Rupnarayan Gurjar	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

	Jagdish Jogi	EO/RO Marks) (84	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota
	Sanjay	Haryana PCS	96379	Jind (Haryana)

And many others.....

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

WhatsApp करें - <https://wa.link/klbi9k>

Online Order करें - <https://bit.ly/leo-ro-notes>

Call करें - **9887809083**

whatsapp - <https://wa.link/klbi9k> 6 web.- <https://bit.ly/leo-ro-notes>